6.12.2024

सक्षम [illegible] द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का पेश किया कि एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अ. चक 4Y KSP के खाता स. 91/85 मे स्व सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम दर्ज 2277/6958 हिस्सा की भूमि के सम्बन्ध में पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण का नाम छिपाकर डिक्री दिनांक 7.10.2022 के द्वारा सरजीत सिंह के नाम दर्ज भूमि जरिये इंतकाल संख्या 628 दिनांक 21.10.22 अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने क्रमशः 2277/13916 - 2277/13916 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा ली।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 7.10.2022 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील संख्या 46/2023 निर्णय दिनांक 3.11.2023 द्वारा अपास्त कर दिया गया है अतः विधि अनुसार न्यायालय हाजा की डिक्री दिनांक 7.10.2022 के अनुसरण में दर्ज इंतकाल संख्या 628 दिनांक 21.10.22 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है अतः 17 KSP के खाता स. 91/85 [illegible] 6958 है में दर्ज इंतकाल संख्या 628 [illegible] 21.10.22 की प्रविष्टि को निरस्त कर दिनांक 7.10.22 से पूर्व के राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:24:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ़ को फरमाया जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि. किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति/अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता राकेश मेहरड़ा उपस्थि[त] आये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर समाप्त कर बहस प्रार्थीगण सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के राजस्व वाद संख्या 451/2022 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.10.22 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 3.11.2023 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में RRT 2018-19 (Supp) पृ. 357, 2021(1) DNJ (Rev) पृ. 98, 2020 DNJ (Rev) पृ. 553 की चित्रप्रतियाँ प्रस्तुत की है।

अतः न्यायालय हाजा की निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.10.22 के [illegible] हो जाने की स्थिति में इस [illegible] में दर्ज इंतकाल संख्या 628 के [illegible] अंकित प्रविष्टियों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:44:01 IST
Reason: SelfAttested

को पुनर्स्थापित किया जाना आवश्यक है अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जावे कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.10.22 के अनुसरण में 17 KSP के खाता सं. 91/85 तादादी 6.958 है. में दर्ज इंतकाल संख्या 628 दिनांक 21.10.22 की प्रविष्टि को निरस्त करते हुये राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावें। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:24:01 IST
Reason: SelfAttested